

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

29
NO. E(NG)I-84-PM10-5(PNM/AIRF) New Delhi, dated 30-11-84.

The General Managers,
All Indian Railways,
CLW, DLW & ICF.

Subject - Auxillary Nurses-cum-Midwives -
training and promotion.

The Staff Side in the PNM/AIRF Meeting held on 17/18-7-1984 and later in the special Meeting of the Departmental Council held on 30/7/1984 represented for ameliorating the condition of service of Auxillary Nurses-cum-Midwives by way of providing them an avenue of promotion and also cover them under restructuring scheme. Pursuant to discussion in these forums, it has been decided that those Auxillary Nurses-cum-Midwives who have the requisite academic qualifications, will be sponsored by the Railways for training and the Railways will bear the cost of their training.

2. The training referred to above will be the one in general nursing in a recognised training school, the successful completion of which will make them eligible for promotion as Staff Nurse grade Rs.425-640(RS).

3. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. The Ministry of Railways desire that necessary action may be taken accordingly and they should be advised of the same in due course.

Please acknowledge receipt.

Hindi Version will follow.

K. B. Lall
(K. B. LALL)
JOINT DIRECTOR ESTABLISHMENT (N)
RAILWAY BOARD

NO. E(NG)I-84-PM10-5(PNM/AIRF) New Delhi, dated 30-11-84.

Copy forwarded for information and necessary action to -

1. The Chief Medical Officers, All Indian Railways including CLW, DLW & ICF.
2. The FA & CBOs.

K. B. Lall
(K. B. LALL)
JOINT DIRECTOR ESTABLISHMENT (N)
RAILWAY BOARD

22-

NO.E(NG)I-84-PM10-5(PNM|AIRF) New Delhi, dated 20-11-84.

Copy(with 40 spares) to ADAI(Railways) for information.

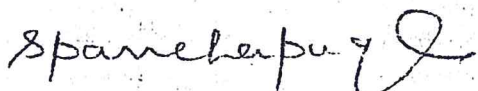
2. Directors of Audit, All Indian Railways, CLW, DLW & ICF.


FOR FINANCIAL COMMISSIONER, RAILWAYS

NO.E(NG)I-84-PM10-5(PNM|AIRF) New Delhi, dated -11-84.

Copy forwarded to -

- i) The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi (with 25 spares).
- ii) The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi (with 25 spares).
- iii) All Staff Side Members, Departmental Council/ National Council.
- iv) The Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.


FOR SECRETARY, RAILWAY BOARD

Copy to -

F(E)SPL., E(TRG), E(P&A)I, HEALTH(A), E(NG)II, E(SCT),
E(REP)I, II, III AND PC-III BRANCHES, RAILWAY BOARD.

E(LR)I (120 spares)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई (एनजी) 1-84-योरम 10-5 (पी एनएम/एआईआरएफ) नयी दिल्ली, दि० 11-84

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें,
चि० रे० का०, डी० रे० का० और ए० डि० का०।

विषय: - महायक नर्सिंग-दाई प्रशिक्षण और पदोन्नति।

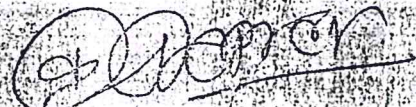
17/10-7-1984 को आयोजित स्थायी वार्ता संघ/ए आई आर एफ को बैठक में और उसके बाद 30-7-1984 को आयोजित विभागीय परिषद को विशेष बैठक में, कर्मचारी पक्ष ने यह अध्यावेदन किया था कि महायक नर्सिंग-दाइयों के लिए पदोन्नति की सराफि की व्यवस्था करके और उन्हें पुनर्गठना योजना के अन्तर्गत ला कर उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये। उपर्युक्त बैठकों में हुए विचार-विमर्श के अनुसार भी, यह निश्चित किया गया है कि जो महायक नर्सिंग-दाइयों अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं रखती हैं, उन्हें रेलों द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा जावेगा और उनके प्रशिक्षण का खर्च रेलें वहन करेंगी।

2. उपर्युक्त प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्कूल में सामान्य नर्सिंग के संबंध में होगा, जिसे गफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर वे 425-640-र० (सं० वे०) के ग्रेड में स्टाफ नर्स के रूप में पदोन्नत किये जाने के लिए पात्र होंगे।

3. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. रेल मंत्रालय वांछ करता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाये और आपको सूचना पथानमय इस मंत्रालय को दी जाये।

कृपया पावती दें।


(दे० दा० लाल)

संयुक्त निदेश, स्थापना (का० ज०)

रेलवे बोर्ड

सं० ई (एनजी) 1-84-पोरम 10-5 (पोरनरम/र-आईआररफ) नयी दिल्ली, दिनांक 2/8/84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

1. मुख्य विप्रेतना अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, चि० रे० का०, डी० रे० का० और स० डि० का० सहित ।
2. वित्त मन्त्रालय एवं मुख्य लेखा अधिकारी ।

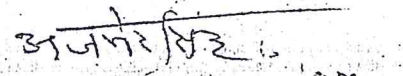

(के० बी० सी०)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज०)
रेलवे बोर्ड ।

सं० ई (एनजी) 1-84-पोरम 10-5 (पोरनरम/र-आईआररफ) नयी दिल्ली, दिनांक 2/8/84

प्रतिलिपि :-

1. भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निदेशक, लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें, चि० रे० का०, डी० रे० का० और स० डि० का० ।


वृत्त वित्त आयुक्त, रेलें ।

सं० ई (एनजी) 1-84-पोरम 10-5 (पोरनरम/र-आईआररफ) नयी दिल्ली, दिनांक 2/8/84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, र आई आर रफ, 4, स्टेट सन्ट्री रोड, नयी दिल्ली (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. जनरल सेक्रेटरी, रन सफ आई आर, 3, चेम्पफेर्ड रोड, नयी दिल्ली (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. विभागीय परिषद/राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, मिनि ग्राह रोड, नयी दिल्ली ।


वृत्त सचिव, रेलवे बोर्ड ।